न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

प्रकरण संख्याः– 37/2019 दिनांकः–12.04.2019

1. कैलाश चन्द पिता हीरालाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी किशनपुरा तह0 निम्बाहेड़ा।
2. श्री शांतीलाल पिता हीरालाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी किशनपुरा तह0 निम्बाहेड़ा।
3. शेकीनलाल पिता हीरालाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी किशनपुरा तह0 निम्बाहेड़ा।

//बनाम//

1. बाबूलाल पिता लोभचन्द जाति जाट निवासी नया किशनपुरा प0ह0 बाड़ी तह0 निम्बाहेड़ा।
2. कालूलाल पिता रामचन्द्र जाति रावत आयु वयस्क निवासी नरसिंहगढ़ प0ह0 बाड़ी तह0 निम्बाहेड़ा।
3. आशोक पिता शंकर जाति रावत आयु वयस्क निवासी नरसिंहगढ़ प0ह0 बाड़ी तह0 निम्बाहेड़ा।

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट
आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई । प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा नरसिंहगढ प0ह0 बाड़ी तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 32 की आराजी न0 287 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी न0 288 रकबा 1.2500 हैक्टेयर कुल कीता 2 कुल रकबा 1.2600 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पड़ौसी है। प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं हाने की स्थिति में , किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीगण की खातेदारी कि वाके मौजा नरसिंहगढ प0ह0 बाड़ी तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 32 की आराजी न0 287 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी न0 288 रकबा 1.2500 हैक्टेयर कुल कीता 2 कुल रकबा 1.2600 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करे।

आज दिनांक 12.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2019.12.05 18:18:27 IST
Reason: SelfAttested